

2016/00069

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

द्वारा प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
61/16	आपीएन क्र. 1281	मेलवाडी नीचा	छबड़ा
A06/2016 वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
बृजमोहन		बनाम	कान्ति बार्
अभिभाषक वादी	उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी	
शकेश कुमार गालब		का. ए. सी. व. माला. श्री राजेश चंद्र मौर्य	
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफतर	पृष्ठ संख्या
15-6-16	21/6/17		
कार्यवाही दिनांक			
सम्मन तामिली	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवाद्यक निर्धारण	विविध प्रार्थना पत्र
29.6.16 25.7.16 9-8-16 6-9-16 4-10-16 8-11-16 30-11-16 2-1-17 13.3.17 3-4-17 15.5.17 - 19/5/17 24.5.17 18.5.17 17/5/17	7/6/17 21.6.17 7707 <hr/> कु. सं. 104		
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस	
अंतरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा		प्राथमिक डिफ्री	
स्थगन वादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	स्थगन प्रतिवादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6/16 सुनगाछा/इलाहाबाद

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

07/17

वकुलाप फर्किंग 340) वकील कपीलानन्द द्वारा एक छापत्र धारा 152 एवं 151, 602 को पेश किया गया, वकील प्रतिवादी को सीमा, वास्ते छापत्र जवाब रिपन अर्माफी दिनांक 8/6/17 को पेश हो।

21/17

पत्रावली का न्यायालय द्वारा के पेश होने पर वकुलाप फर्किंग को आग्रह लगाया गया, वकील कपीलानन्द शर शंकरा कुमार शालव एवं वकील रेस्पोंडेन्ट शर हसीव - काला उपस्थित किये, बात दिनांक 7/6/17 को वकील कपीलानन्द द्वारा एक छापत्र धारा 152 एवं 151, 602 को पेश किया था का वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा जवाब पेश कर दिया है, छापत्र पर दोनो अधिकाधिक वरिष्ठ सुनगाछा छापत्र बवारीज किया गया, प्रकरण में जवाब पेश हो गये है, मूल अपील - इन्तकाल पर लहम कर निर्णय चाहते है वकील कपीलानन्द एवं वकील रेस्पोंडेन्ट के सुनगाछा प्रकरण का (कॉन्वोल्यूट किया कपीलानन्द के इन्तकाल नं. 128) दिनांक 24.6.17 को खोला गया है. इन्तकाल में निरस्त करण न्यायता है, वकील रेस्पोंडेन्ट का यह है कि इन्तकाल नं. 128) जो खोला गया, सुर्ष तथा अन्य भी जाकर खोला गया है, प्रकरण नं- 314 की पालाग के खोला गया है. इन्तकाल सही है वकील अर्माफी पेश की है जो खोला गया -

मिशन टालफी
वद धि. 837
14.6.17

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

वि

उ.प. 61/16

(*)
21/17

दोनों पक्षों की वरम सुनकर प्रकरण का फैसला किया गया। इंगान्ते वरि की कारागीरी शर्त - भीलवाड़ा नीची - सेवा जिसका निष्पत्तीनुसार विभाजन होकर आन्तिम-दिल्ली पालका इमराप 90-3/14 व ओ निश्चय नुसार हो गयी है।

क्र.सं.	रकबा	डि.सं.	लगा
आन्तिम-दिल्ली नारापण	683/1	6-12	मास 12-14
कोम-उद्वेगण शो.भी.नी.य	किता 1	6-12	- 12-14
दो.भी.नी.य			
उ.प. 61/16 पुणेदेण फुल	235	1-12	मास 11-58
कोम-उद्वेगण शो.भी.नी.य	683/2	20-03	मास 37-8
दो.भी.नी.य	702	4-13	- 3-94
किता - 3 26-08 - 58-12			

उक्त विभाजन शर्त 1281 डि. 24.6.14 के किताप में गयी नष्टा भी सम्बन्धन परामर्श किया है। अतः प्रकरण का आवलोकक किता उक्तानुसार रखने का विभाजन रहेगा।

अतः इन्तकाली नं- 1281 दिनांक 24.6.14 खोला गया है, सही है। आपीलकत की आपील इसी स्तर पर खाली करी जाती है, इन्फोडेण्ड इंगान्ते वरि का जवाब स्वीकार किया जाता है, कारागीरी का विभाजन उक्तानुसार यथा वत रहेगा। निर्णय सुले नारापण सुनाया गया। यह आर्डर सीट को निरन्तर काप से लिखी जा रही है। निरन्तर जिस पर मूल वाक्य के वरि का नया स्थापित ट्रेल पेपर चस्था किया है।

--- (PTO) 21/17

क्र

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

क्र. 61/16 अपील नं. 1281 - मीलवाडी नीपा


उत्तर :- हुजुमठ व श्यामकिवाडी

दिनांक 21/6/2017

(Handwritten signature)
21-6-17

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारा (राज.)

292



शुद्ध प्रतिलिपि
राब 0 नं 1281
आवेदन तिथि 11/3/16
तैयारी तिथि 11/3/16
देने की दिनांक 11/3/16
पृष्ठ 25

(Handwritten signature)
पटवारी श्री गीत
पटवार प्रणाली

अपील नं. 61/16 हुजुमठ व श्यामकिवाडी
के सम्बन्ध में

अपील अपील नं. 61/16 हुजुमठ व श्यामकिवाडी
का इंतकाल नं. 1281 के सम्बन्ध में पत्रा इतिहास
काय दिनांक 21/6/17 को अपील हो गयी है
कि, उक्त हुजुमठ व श्यामकिवाडी का विभाजन होकर
दिया जाता है। उक्त नक्शे को अग्रिम कार्य के लिए

(Handwritten signature)
21.06.17

उप जिला कलेक्टर
छबड़ा जिला बारा (राज.)